सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–15 बुधवार, दिनांक–23 मार्च, 2022 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:20 बजे अपराह्न तक।

[1] **आसन का संदेश :-**

आसन द्वारा कहा गया कि आज 23 मार्च है, यह महज एक तारीख भर नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है, जिसे याद कर हम सदा देश के प्रति गौरव और प्रेरणा से भर उठते है। आज से इक्यानवे वर्ष पूर्व सन् 1931 में देश की आजादी के लिए माँ भारती के तीन वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मातृभूमि के लिए ललक, उत्साह, त्याग और समर्पण की जो मिसाल इन क्रांतिवीरों ने हमारे सामने पेश की वह न केवल अविस्मरणीय है, बल्कि देश और समाज के प्रति हमें सदा सचेष्ट करती है।

जेल की डायरी में भगत सिंह ने लिखा था -

"हवा में रहेगी, मेरे खयाल की बिजली,
ये मुश्ते खक है फानी रहे न रहे।"

यहाँ बैठे हम में से किसी व्यक्ति को जरा भी संदेह नहीं होगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू अपने ओजस्वी विचारों तथा असीम त्याग के कारण हमारे दिलों में यह भाव पैदा करते हैं-

जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर,
माँगे मातृभूमि से यह वर,
तेरा वैभव अमर रहे माँ,
हम दिन चार रहें ना रहें।

आज उनकी शहादत दिवस पर देश के नौजवानों को यह संकल्प लेना चाहिए कि माँ भारती के गौरव और मान को सुरक्षित रखने के लिए इन तीनों अमर बलिदानियों से प्रेरणा लेकर जीवन पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तथा सदन की ओर से भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरू के प्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।

[2] **प्रश्नकाल** :-

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।

(ii) 21 तारांकित प्रश्न उत्तरित।

(iii) 08 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।

(iv) 271 तारांकित प्रश्न अनागत।

[3] **आसन की सूचना** :-

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज भारत के महान चिंतक समाजवाद के प्रणेता एवं राजनेता स्व० राम मनोहर लोहिया जी की जंयती है।

कहते है दूसरों के लिए जीने वाले कभी मरते नहीं। लोहिया जी भौतिक रूप से हमारे बीच न होकर भी हमारी सोच और हमारे विचार में जीवित हैं। लगन, निष्ठा, ओज और प्रखरता को जब तक गुण माना जाएगा, वे हमारे बीच मौजूद रहेंगे।

राज-समाज और संस्कृति के प्रति उनका बारीक लेकिन व्यापक दृष्टिकोण आज भी जनसेवा में जुटे लोगों को साध्य और साधन की पवित्रता के साथ अपने कर्त्तव्य-पथ पर चलते रहने का हौसला देता है। उनके विचार और कर्म हमें यह सिखाते हैं कि अपने स्वार्थ और भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाने का जो संकल्प हम लें, जिस आदर्श पर चलने का व्रत हम लें, वह समाज में समरसता, समावेश और सबके विकास को सुनिश्चित करने वाला हो, वह मार्ग विकारों, जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा के दुराग्रह से मुक्त हो। इस सोच के साथ जो आगे बढ़ेगा सच्चे अर्थों में वही लोहिया जी के दिखाये रास्तों पर चलने वाला सच्चा समाजवादी कहलाने का हकदार होगा।

मैं अपनी तथा इस महान सदन की ओर से स्व० राम मनोहर लोहिया जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व को सादर नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

[4] **कार्यस्थगन प्रस्ताव** :-

माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम, श्री सुदामा प्रसाद, श्री महा नंद सिंह, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मनोज मंजिल, श्री रामबली सिंह यादव एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

कार्यस्थगन अमान्य किये जाने पर विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण शोरगुल करने लगे जिसके पश्चात आसन द्वारा माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम एवं श्री अजीत शर्मा को अपनी कार्यस्थगन की सूचना को संक्षिप्त रूप से पढने का अवसर दिया गया।

[5] **शून्यकाल** :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री सुरेन्द्र मेहता (ii) श्रीमती गायत्री देवी

(iii) श्री भरत बिंद (iv) श्रीमती मंजु अग्रवाल

शून्यकाल के दौरान विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण द्वारा राज्यभर में कई लोगों की जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले पर सरकार से वक्तव्य की मांग को लेकर शोर-गुल किया जाने लगा।

संसदीय कार्य मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इस विषय का संज्ञान लिया गया और गृह विभाग के मांग पर वाद-विवाद के क्रम में इस विषय पर वक्तव्य दिये जाने की बात कही गई ।

तत्पश्चात आसन द्वारा कहा गया कि यह घटना दुखद है। इससे पूरा सदन मर्माहत है और सरकार ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया है। जब गृह विभाग की मांग के दौरान सरकार वक्तव्य देने को तैयार है तो सदन चलने दे। सदन चलेगा तभी किसी विषय पर गंभीरता से चर्चा हो सकती है।

परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांगों पर अड़े रहे तथा वेल में आकर शोर-गुल और नारेबाजी करने लगे।

आसन द्वारा शान्ति से सदन चलने देने का बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02.14 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] प्रस्ताव:-

(i) माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 01 अप्रील, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमश: 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परन्तुक के तहत् निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें''।

(ii) माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमश: 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 01 अप्रील, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक के लिए गठन किये जाने वाले क्रमश: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमश: चार, छ: एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें''।

उक्त दोनों प्रस्ताव पर आसन के माध्यम से सदन की सहमति हुई ।

[7] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-10 (भवन निर्माण विभाग; नगर विकास एवं आवास विभाग; खान एवं भूतत्व विभाग तथा परिवहन विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान:-

माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, श्री अशोक चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से भवन निर्माण विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

इस दौरान जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले पर सरकार से वक्तव्य की मांग को लेकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोर-गुल तथा नारेबाजी करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा सदन में शान्ति कायम करने तथा अपने निर्धारित समय पर अपनी बातों को रखने का अनुरोध किया गया। साथ ही आसन द्वारा कहा गया कि इस संबंध में गृह विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट की जायेगी।

तदुपरान्त माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा एवं श्री ललित कुमार यादव का नाम आसन द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पुकारा गया, लेकिन कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

आसन द्वारा पुन: सदन में शान्ति कायम करने का अनुरोध किया गया लेकिन सदन में शान्ति स्थापित नहीं हो सकी।

तत्पश्चात सदन की कार्यवाही 04:50 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई।

स्थगनोपरान्त

(04:50 बजे अपराह्न से 05:02 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, श्री अशोक चौधरी द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

तदुपरान्त भवन निर्माण विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[8] **निवेदन** :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 46 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-24 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-23.03.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।